

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

ज्ञाप सं०-2/वि.60-74/2025 (खण्ड)-...../
सेवा में,

पटना, दिनांक/2026

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष-2026-27 में 'मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना' के तहत विभागीय विशेषज्ञ समिति द्वारा संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न जिलों के कुल 173 अनुशंसित कलाकारों को माह-मार्च 2026 में प्रति कलाकार ₹ 3,000/- (तीन हजार रुपये) मात्र की दर से पेंशन राशि प्रदान करने के निमित्त कुल राशि ₹ 5,19,000/- (पांच लाख उन्नीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में माँग संख्या-08 के अधीन बजट शीर्ष-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-0103-मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, विपत्र कोड-08-2205001020103 के अंतर्गत विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान गैर वेतन में उपबंधित राशि से होगा।
- इस राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा संलग्न विवरणी के अनुसार 173 कलाकारों को उनके बैंक खातों में पेंशन राशि का भुगतान किया जायेगा। यह वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।
- राशि का व्यय बिहार वित्त नियमावली-2024 (संशोधित) एवं वित्त विभागीय संकल्पों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं के आलोक में की जायेगी।
- यह स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
- उक्त प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि (2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(रुबी)

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

ज्ञापांक 02...../

पटना, दिनांक 02/12/2026

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को संलग्न विवरणी की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सांस्कृतिक कार्य/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदा०-1 एवं 2/लेखाशाखा (दो प्रतियों में)/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई०टी० मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कलाकारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।